झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(पर्यटन प्रभाग)

अधिसूचना संख्या–पर्य०/नि०/यो०–02/2014......15....../ *राँची, दिनांक*...26/11/15.../

अधिसूचना

राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को एक मंच के अधीन करने तथा अन्तर्विभागीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर पर्यटन के क्षेत्र में नीति निर्धारित करने हेतु झारखण्ड पर्यटन नीति, 2015 (Jharkhand Tourism Policy, 2015) की कंडिका 28 के आलोक में सदृश्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–01 सह ज्ञापांक–98 दिनांक 23.01.2015 द्वारा गठित State Steering Committee को अवक्रमित करते हुए नये सिरे से अधिसूचित पर्यटन नीति 2015 के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के अध्यक्षता में झारखण्ड पर्यटन विकास पर्षद् (Jharkhand Tourism Development Board) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :–

1.	माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, झारखण्ड	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड	सदस्य
5.	पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड	सदस्य
10.	निदेशक, पर्यटन, झारखण्ड	सदस्य
11.	राज्य के Hotel Association के एक प्रतिनिधि	सदस्य
12.	राज्य के Travel Agent Association के एक प्रतिनिधि	सदस्य
13.	राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास एवं विस्तार में विशेष अभिरूची रखने वाले दो नामित सदस्य	सदस्य
14.	मण्डल रेलवे प्रबंधन, राँची मण्डल	सदस्य
15.	बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची के निदेशक	सदस्य
16.	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड	सदस्य सचिव

क्रमशः..............2

शर्मिष्ठा

2. झारखण्ड पर्यटन विकास पर्षद (Jharkhand Tourism Development Board) का मुख्य कार्य राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु नीतिगत मामलों पर मार्गदर्शन करना एवं उन नीतियों को कार्यान्वित करने हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव देना होगा। साथ ही पर्यटन उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु Public Private Partnership (PPP) Mode में योजना लेने पर भी परामर्श देना होगा।
3. पर्षद पर्यटन के विषय पर वित्तीय संसाधन हेतु सुझाव भी देगी।
4. पर्षद राज्य सरकार के किसी विभाग को जिसका सम्बंध पर्यटन विकास से है, को उनके विभाग से संबंधित योजना क्रियान्वित करने पर परामर्श दे सकेगा।
5. झारखण्ड पर्यटन विकास पर्षद् (Jharkhand Tourism Development Board) के गठन पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26/11/15

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–*पर्य०/नि०/यो०–02/2014*....1920..../ *राँची, दिनांक*....26/11/15..../

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/15
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–*पर्य०/नि०/यो०–02/2014*....1920..../ *राँची, दिनांक*....26/11/15..../

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस अधिसूचना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

O/C

26/11/15
सरकार के सचिव

शर्मिष्ठा